सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 63/1961-62 दिनांक / DATE- 15-03-2025

BAGARIYA BAL VIDYA NIKETAN SAMITI LAXMANGARH SIKAR जिला **सीकर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

BAGARIYA BAL VIDYA NIKETAN SAMITI LAXMANGARH SIKAR DISTRICT **Sikar** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		ADITYA DALMIYA	MALE	MEMBER		25/08/1969
2		AMIT BAGARIA	MALE	CHAIRMAN		15/10/1965
3	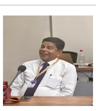	DR ASHOK KUMAR PANDEY	MALE	MEMBER		05/05/1956
4		KAILASH BAGARIA	MALE	MEMBER		27/09/1941
5		PAWAN GOENKA	MALE	SECRETARY		15/12/1960

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		RITU BAGARIA	FEMALE	TREASURER		01/01/1967
7		SEEMA BAGARIA	FEMALE	MEMBER		03/04/1970
8		SHYAMA BAGARIA	FEMALE	MEMBER		18/11/1944
9		SOHUM BAGARIA	MALE	MEMBER		01/01/1995
10		SUMIT BAGARIA	MALE	VICE-CHAIRMAN		08/03/1969
11		URVI BAGARIA	FEMALE	MEMBER		12/04/1994

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

राजस्थान सरकार

मुद्रा

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक – ६३ सन् १९६१–६२

True copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh, Sikar (Rajasthan)

यह प्रमाणित किया जाता है कि बगड़िया बाल विद्या निकेतन समिति लक्ष्मणगढ़ – जिला सीकर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं. २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक इक्तीस माह अगस्त सन् एक हजार नौ सौ इकसठ को जयपुर से दिया गया।

मुद्रा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज राजस्थान, जयपुर	हस्ताक्षर, रजिस्ट्रार संस्थान, राजस्थान जयपुर

राष्ट्रीय रत्नानि बालकाः

श्री बगड़िया बाल विद्या निकेतन

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

राष्ट्र रत्नानि बालकाः

विधान

True copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

परिस्थिति में २४ घण्टे पूर्व की सूचना से भी बैठक आहूत की जा सकेगी।

१) कार्यकारिणी के मध्यावधि में कार्यकारिणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति सदस्य अपने बहुमत से करेंगे।

२) साधारण सभा :

क) समिति के समस्त सदस्यों से साधारण सभा निर्मित होगी।

ख) साधारण सभा अध्यक्ष व कार्यकारीणी समिति की कार्यविधि समाप्त होने पर नये अध्यक्ष व कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करेगी।

ग) अपनी वार्षिक सभा में समिति का वार्षिक बजट एवं गत वर्ष का हिसाब पारित करेगी।

घ) साधारण सभा में मंत्री द्वार साधारण सभा का अधिवेशन न बुलाये जाने पर सभा के १/३ सदस्य २१ दिन की पूर्व सूचना देकर साधारण सभा का विशेष अधिवेशन आहूत कर सकेंगे। जिसमें उन्हीं विषयों पर निर्णय हो सकेगा जिसके लिए बुलाया गया हो।

ङ) साधारण सभा का अधिवेशन एक वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसके लिए एक सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक होगी।

३ अध्यक्ष :

श्री बगड़िया बाल विद्या निकेतन समिति

True copy

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

के

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

नियमोपनियम

१ नाम : इस संस्था का नाम बगड़िया बाल विद्या निकेतन समिति लक्ष्मणगढ़ सीकर रहेगा।

२ कार्यालय : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर में जिसका डाक घर लक्ष्मणगढ़ हैं में रहेगा।

३ संस्था का उद्देश्य : लक्ष्मणगढ़ (सीकर) एवं उसके निकटवर्ती ग्राम क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास एवं सामाजिक जागृति के लिए कार्य करना इस संस्था का उद्देश्य रहेगा।

१) लक्ष्मणगढ़ स्थित श्री बगड़िया बाल विद्या निकेतन का संचालन।

२) विद्यालय, पुस्कालय, वाचनालय, छात्रावास खोलना, चलाना एवं उन्हें सहायता देना।

३) व्यायामशाला, क्रीड़ागन एवं खेलकूद को प्रोत्साहन देने वाली प्रवृतियों का संचालन करना एवं उन्हें सहयोग देना।

४) दान लेना एवं अन्य संस्थाओं को देना।

५) समिति के उपयोग के लिए भवन निर्माण करना, खरीदना एवं

True Copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

बेचना।

६) समिति के लिए आवश्यक हो तो ऋण लेना व सम्पत्ति को समिति के हितार्थ गिरवी रखना।

७) समिति का बैंक में खाता खोलना और समिति के विशेष धन को दूसरों को उधार देना तथा शेयर्स व सिक्यूरिटीज में लगाना।

४ साधारण सभा : समिति के समस्त सदस्यों को मिलाकर इसकी सभा का गठन होगा।

५ सदस्य : समिति के संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त शिक्षा एवं सामाजिक विकास में सुरूचि रखने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर इस समिति का सदस्य बन सकेगा और उसे समिति को एक मुश्त १००१ रुपये और २ रुपये मासिक चन्दा देना होगा। शिक्षा एवं समाज सेवा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यकारिणी समिति चन्दा के प्रतिबन्ध से मुक्त भी रख सकेगी। जिनकी अधिकतम् संख्या ५ रहेगा। ऐसे सब सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

६ कार्यकारिणी समिति : समिति की समस्त प्रवृतियों का संचालन एक कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारियों सहित

True Copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Sami
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

न्यूनतम् ७ और अधिकतम् ११ सदस्य होंगे।

क) कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

(१) अध्यक्ष (२) उपाध्यक्ष (३) मंत्री (४) कोषाध्यक्ष और

(५) शेष अवैतनिक सदस्य।

ख) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा।

७ चुनाव : इस संस्था की साधारण सभा के सदस्य अपने बहुमत से अपने में से अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करेंगे।

८ कर्त्तव्य एवं शक्तियां : कार्यकारिणी समिति :–

क) समिति द्वारा संचालित बाल विद्या निकेतन एवं अन्यान्य प्रवृतियों का संचालन कार्यकारिणी करेगी।

ख) वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना एवं कार्य संचालन के लिए नियमोपनियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा।

ग) यह अपने नाम से बैक में खाता खोलेगी और किसी को भी तत्सम्बन्धी अधिकार प्रदान करेगी।

घ) इसकी बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी जिनके लिये तीन दिन पूर्व की सूचना प्रर्याप्त समझी जावेगी। विशेष

True copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

इस संस्था के वैधानिक प्रधान होंगे वे इसके विधान रक्षण इसके विभिन्न अधिवेशनों एवं बैठकों का सभापतित्व करेंगे।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उनसे निर्देश प्राप्त होने पर अध्यक्ष के समस्त कार्यो का सम्पादन उपाध्यक्ष करेंगे।

५ मंत्री :

ऐ) समिति के दायित्व पर मंत्री समस्त पत्र व्यवहार करेंगे।

ख) समय समय पर आवश्यकतानुसार साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करेंगे और उसका प्रतिवेदन लिखेंगे।

ग) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को कार्यन्वित करेंगे।

६ कोषाध्यक्ष :

समिति के कोष को सुरक्षित रखना व हिसाब आदि को व्यवस्थित रखना कोषाध्यक्ष का अधिकार एवं कर्तव्य होगा।

९ गणपूर्ति :

प्रबन्ध समिति एवं साधारण सभा के अधिवेशनों की गणपूर्ति सम्बन्ध सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

१० संशोधन :

समिति के इस विधान में राजस्थान सोसाईटीज अधिनियम १९५८ की धारा १२ के अन्तर्गत कोई भी संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकेगा।

११ विघटन :

किन्हीं परिस्थितियों में समिति का विघटन होने पर राजस्थान सोसाईटीज अधिनियम १९५८ की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत इसकी समस्त चल व अचल सम्पति किसी पंजीकृत एवं समुदेशीय संस्था को ही स्थानान्तर की जा सकेगी।

प्रमाण-पत्र

हम श्री बगड़िया बाल विद्या निकेतन समिति के निम्न हस्ताक्षरकर्ता सदस्य प्रमाणित करते हैं कि उक्त लेख नियमोपनियम की सही प्रतिलिपि हैं।

हस्ताक्षर अध्यक्ष :– ***Sd.*** द्वारकाप्रसाद बगड़िया

हस्ताक्षर कार्याध्यक्ष :– ***Sd.*** मदनलाल जाजोदिया

हस्ताक्षर मंत्री :– ***Sd.*** सांवर शर्मा

True copy

(Pawan Goenka)
Secretary
Bagaria Bal Vidya Niketan Samiti
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)